संख्या-194जेएल/22-3-2023-800(21)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2023*

विषय- जिला कारागार, कन्नौज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नक्षत्र सहाय पुत्र श्री बाबूराम, निवासी-कसावा, थाना-छिबरामऊ, जनपद-कन्नौज को पत्नी के उपचार हेतु स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) में वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1498/जि0प्रो0का0/पैरोल-वृद्धि/2022-23, दिनांक 17-03-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार, कन्नौज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नक्षत्र सहाय पुत्र श्री बाबूराम, निवासी जनपद-कन्नौज को शासनादेश संख्या-02/2023/ 48जेएल/22-3-2023-800(21)/ 2020, दिनांक 27-01-2023 के क्रम में एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, राज्यमंत्री (स्व0प्र0), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, कन्नौज।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, कन्नौज।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।